फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025|251

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री महिपालसिंह
निवासी सांतपुर
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 45 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
03.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 05.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही में पिछले दस वर्षो में किस–किसको पट्टा अलॉट किए गए। नाम, तिथि और खसरा नम्बर उपलब्ध करावें तथा उनसे कितनी राशि ली गई तथा उसमें से कितनी राशि राजस्व विभाग को जमा करवाई गई। उक्त सूचना उपलब्ध करावें तथा खुले प्लॉट यूआईटी उक्त भूमि का ब्यौरा लिखित में उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 05.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही में पिछले दस वर्षो में किस–किसको पट्टा अलॉट किए गए। नाम, तिथि और खसरा नम्बर उपलब्ध करावें तथा उनसे कितनी राशि ली गई तथा उसमें से कितनी राशि राजस्व विभाग को जमा करवाई गई। उक्त सूचना उपलब्ध करावें तथा खुले प्लॉट यूआईटी उक्त भूमि का ब्यौरा लिखित में उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही